

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 113] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 1979/फाल्गुन 22, 1900
No. 113] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 1979/PHALGUNA 22, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1979

आदेश

का. आ. 133 (अ).—केंद्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मूद्रा छल साधक (सम्पत्ति
समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 27 की उपधारा (2) के साथ
पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार (राजस्व और
बीमा विभाग) के आदेश सं. का. आ. 41 (अ) (सं. 1205/फा. सं. 414/2/78-आ. क.
(वि.) तारीख 15 जनवरी, 1976 में निम्नीलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में कम संख्या 2 के सामने स्तम्भ (2) में
"श्री आर. एल. मल्होत्रा" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "श्री एन. सुकुमण्यन" शब्द और
अक्षर रखे जाएंगे।

[सं. 1 फा. सं. प्रशा. (3)/79-साफेमा]

एन. पी. भट्ट, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi the 13th March, 1979

ORDER

S.O. 133(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (2) of section 27 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976, (13 of 1976) the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 41(E) [No. 1205/F. No. 414/2/76-IT(Inv)] dated the 15th January, 1976, namely :—

In the Table below the said notification, in column (2), against Serial No. 2, for the words and letters "Shri R. L. Mulhotra", the words and letters "Shri N. Subramanian" shall be substituted.

[No. 1/F. No. Admn.(3)/79-Safema]

N. P. BHAT, Dy. Secy.